न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 43/2022

1. कालूराम पुत्र श्री भाणूलाल जाति माली उम्र करीबन 65 वर्ष निवासी मालियों का मोहल्ला, नया शहर किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. बद्री पुत्र रामचन्द्र
2. भंवरलाल पुत्र हरचन्द
   सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. उपपंजीयक किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः 26.08.2025

उपस्थितः श्री रामदेव गुर्जर वादी अभिभाषक

निर्णय

1. यह वाद वादी की ओर से जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 53, 188, 209 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 वादी द्वारा अपने वाद में दावा कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं सह–खातेदारी कि आराजी ग्राम उदयपुरकलां पटवार हल्का सिलोरा तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है जिसके वर्तमान ख0नं0 531 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, ख0नं0 532 रकबा 0.6634 हैक्टेयर, ख0नं0 797/532 रकबा 0.8899 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.5241 हैक्टेयर भूमि है जिसमें वादी का 5/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। वादी अनपढ़ एवं काफी वृद्ध व्यक्ति होने का अनुचित फायदा उठाते हुये प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के द्वारा नींव, सींव, मेड़ बाबत् आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 एवं वादी के बीच सामाजिक सम्बन्ध खराब होने की पूर्ण आशंका बनी रहती है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा आये दिन मौके को लेकर विवाद उत्पन्न करते है एवं वादी को मौके से बेदखल करने पर आमादा है एवं वादी को वर्णित आराजी का विधिक बंटवारा किये बिना अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान करने कि ऐलानिया धमकियां देते है एवं वादी के कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के अवैध कृत्य को रोका जाना अतिआवश्यक है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावें कि वादी के काबिज हिस्से में कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे एवं वर्णित हिस्से के उपयोग–उपभोग में बाधा कारीत नही करे। वादी को मौके से बेदखल नहीं करे एवं बिना विधिक विभाजन किये वर्णित आराजी का अन्य दिगर व्यक्ति/अजनबी व्यक्ति को बैचान, हस्तानान्तरण, रहन नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना अतिआवश्यक है। उपरोक्त आराजी का अधिकार अभिलेख व राजस्व ट्रेस में विधिक विभाजन नहीं होने से आराजी में बुवाई, जुताई, हकाई, निराई, गुडाई, के समय मेड, नींव, सींव को लेकर मनमुटाव हो जाता है जिससे सामाजिक वातावरण खराब हो जाता है जिससे सामाजिक समरसता का विघटन होता है, इसलिये न्यायालय के समक्ष विभाजन/बंटवारे की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री प्राप्त करने हेतु वाद पेश करना आवश्यक हुआ है, जिससे वादी का अलग से राजस्व ट्रेस में निहित हिस्से कि तरमीम एवं खसरा, रकबा, एवं जमाबन्दी एवं सभी काश्तकारो का अलग–अलग रास्ता दर्शित होने से विवाद उत्पन्न नहीं होगा इसी कारण विभाजन का वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के मध्य उपरोक्त वर्णित आराजी का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी (By mites & Bound) के सिद्धान्त के आधार पर एवं सभी सह–खातेदार के लिए अपने–अपने हिस्से में जाने के लिए रास्ता दर्शित करते हुए अधिकार अभिलेख व राजस्व ट्रेस में अलग–अलग विधिक विभाजन होकर अलग–अलग तरमीम, रकबा, खसरा, लगान अलग–अलग करते हुये विभाजन की डिक्री पारीत किया जावे। वाद कारण दिनांक 20.02.2022 को तब उत्पन्न हुआ जब वादी अपने कृषकिय कार्य करने में व्यस्त था तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा मौके पर अवैध गुट बनाकर वादी के कृषकिय कार्य में व्यवधान कारीत किया एवं वादी के कब्जे काश्त की उपरोक्त वर्णित आराजी में से वादी को बेदखल करने पर आमादा हो गये एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा वादी को ऐलानिया धमकी दी कि बगैर विभाजन के ही उक्त आराजी को अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान कर देंगे, तब से वाद कारण निरन्तर जारी है। अतः वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि का खसरा नम्बर, रकबा, व जमाबन्दी व सभी काश्तकारो को आवागमन हेतु रास्ता दर्शित करते हुये अथवा रास्ते की सुविधा देते हुये एवं राजस्व ट्रेस में वादी का हिस्सा तरमीम कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के सिद्धान्त से विभाजन कि डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण फरमायी जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावे की वे वादी के कृषकिय कार्य में किसी प्रकार से मदाखलत् उत्पन्न नहीं करे, वादी को मौके से बेदखल नहीं करे एवं आराजी के उपयोग–उपभोग में बाधा कारीत नही करे।

3. प्रतिवादीगण को वादपदों के स्थिरीकरण के लिये प्रतिवादी को सम्मन (आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता) के तहत् नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 06.06.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब पेश नही करने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 का दिनांक 13.09.2022 को जवाब दावा का अवसर बन्द किया गया। हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही होने के कारण प्रकरण में तनकियात बिन्दू कायम नहीं किये गये। वाद में वकील वादी की बहस के आधार पर दिनांक 23.12.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। दिनांक 01.01.2025 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया।

1. दिनांक 26.08.2025 को वकील वादी की मूल वाद पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि यदि वादअधीन भूमि का तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन कर दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, वकील वादी की बहस के आधार पर वादअधीन भूमि ग्राम ग्राम उदयपुरकलां पटवार हल्का सिलोरा तहसील किशनगढ़ में स्थित वर्तमान ख0नं0 531 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, ख0नं0 532 रकबा 0.6634 हैक्टेयर, ख0नं0 797/532 रकबा 0.8899 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.5241 हैक्टेयर का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी बाई (मीट्स एण्ड बाउण्डस) के आधार पर बंटवारा किया जाता है। उक्त बंटवारे में तहसीलदार किशनगढ द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अंतिम आदेश का एक भाग होगें।

क्र.सं	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हैक्टैयर में	किस्म	रंग
1.	कालूराम पुत्र भाणूलाल कौम मालाकार सा. देह खातेदार	531/1	0.0980	बंजर दोयम	हरा
		532/1	0.2700	बंजर दोयम	
		797/532/1	0.4202	बंजर दोयम	
		531/4	0.3120	बंजर दोयम	

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

		797/532/3 532/3	0.1258 0.1461	बंजर दोयम बंजर दोयम	
कुल किता 06				कुल रकबा 1.3721 हैक्टैयर	
2.	बद्री पुत्र रामचन्द्र कौम जाट सा. गोरधनपुरा खातेदार राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरणा	531/3 532/2 797/532/2	0.2745 0.2302 0.3185	बंजर दोयम बंजर दोयम बंजर दोयम	आसमानी नीला
कुल किता 03				कुल रकबा 0.8232 हैक्टैयर	
3.	भंवरलाल पुत्र हरचन्द कौम जाट सा. गोरधनपुरा खातेदार	531/2	0.2744	बंजर दोयम	नारंगी
कुल किता 01				कुल रकबा 0.2744 हैक्टैयर	
4.	कालूराम पुत्र भाणूलाल कौम मालाकार सा. देह खातेदार हिस्सा 5/9, बद्री पुत्र रामचन्द्र कौम जाट सा.गोरधनपुरा खातेदार राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरणा हिस्सा 1/3, भंवरलाल पुत्र हरचन्द कौम जाट सा. गोरधनपुरा खातेदार हिस्सा 1/9	531/5 532/4 797/532/4	0.0064 0.0192 0.0288	बंजर दोयम (रास्ता)	लाल
कुल किता 03 एवं कुल रकबा 0.0544					

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner